पंजीयन क्रमांक -205,मुख्यालय दिनांक 27.01.1989 स्थापना वर्ष 1989

SNSB
सद्गुरू बैंक

सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

प्रधान कार्यालय: ई-5/13, प्रथम तल, रविशंकर नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-16
दूरभाष: 2422185 से 187 ईमेल - sadgurubank@rediffmail.com, sadgurunagrikbank@gmail.com
वेबसाईट- www.sadgurubank.co.in

क्रमांक/ स.ना.बैंक/2023-2024/202 दिनांक : 06/09/2023

सूचना

चौतीसवीं वार्षिक साधारण सभा

माननीय,

सद्गुरू नागरिक सहकारी बैक मर्यादित भोपाल की चौतीसवीं वार्षिक साधारण सभा, रविवार, दिनांक 24 सितम्बर2023 को प्रात:8.30 बजे समन्वय भवन अपैक्स बैंक न्यू मार्केट टी.टी. नगर, भोपाल में दर्शायें गये विषयों पर विषय सूची अनुसार विचारार्थ एवं स्वीकृति प्रदान करने केलिये आयोजित की गई है।

अत: निवेदन है कि बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

'विषय-सूची'

01 दिनांक18 सितम्बर 2022 को हुई गत 33 वीं वार्षिक साधारण सभा का कार्यवृत्त वाचन तथा उसकी पुष्टि करना।

02 वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष2022-2023 का वाचन एवं 31 मार्च2023 की स्थिति पर अंकेक्षण प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान करना।

03 वर्ष 2022-2023 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन करना ।

04 वर्ष 2022-2023 के शुद्ध लाभ के विभाजन की स्वीकृति प्रदान करना एवं अनुशंसित लाभांश की घोषणा एवं वितरण को स्वीकृति प्रदान करना।

05 वर्ष 2022-2023 के स्वीकृत आय-व्यय बजट से अधिक हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान करना ।

06 आगामी वर्ष2024-2025 के प्रस्तावित आय-व्यय बजट को स्वीकृति प्रदान करना ।

07 आगामी वर्ष2024-2025 की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन करना ।

08 वित्तीय वर्ष2022-2023 हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को बोनस/एक्सग्रेशिया की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा/स्वीकृति प्रदान करना।

09 वित्तीय वर्ष2023-2024 के लेखा परीक्षा हेतु सनदी लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने बाबत प्रस्ताव का अनुमोदन करना।

10 'कोविड-19 दबाव के लिए प्रावधान मद' में अंतरित राशि वापिस 'डूबत एवं संदिग्ध ऋण कोष' मद में एवं विकास निधि मद में अंतरित करने बाबत प्र.मु.का.अ / प्रशासक महो. द्वारा सर्वधारण सभा की स्वीकृति की प्रत्याशा में दी गई स्वीकृति की पुष्टि करना।

11 अन्य विषय-अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

(संचालक मण्डल की आज्ञा से)
(अजय खनगन)
प्रभारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी

टीप:- यदि बैठक के लिये नियत समय पर गणपूर्ति न हुई, तो गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी तथा स्थगित साधारण सभा की बैठक उसी दिनांक 24 सितम्बर 2023 को उसी स्थान पर नियत समय के आधा घन्टे पश्चात् प्रारंभ होगी । यदि स्थगित बैठक में भी गणपूर्ति नहीं होती है, तो गणपूर्ति के अभाव में बैठक उस दिनांक तक के लिए स्थगित हो जायेगी, जो बैठक में उपस्थित सदस्य तय करेंगे ।

निवेदन:-

01 प्रतिवेदन में प्रस्तुत जानकारी एवं वित्तीय पत्रकों संबंधी यदि कोई भी सम्मानीय अंशधारी सदस्य साधारण सभा की बैठक में सुझाव देना चाहें, तो कृपया अपने लिखित सुझाव शुक्रवार., दिनांक 15 सितम्बर 2023 तक प्रधान कार्यालय में कार्यालयीन समय में देने का कष्ट करें ।

02 वार्षिक साधारण सभा की बैठक में उपस्थित होते समय इस प्रतिवेदन को साथ रखने का कष्ट करें ।

चौतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन-वर्ष : 2022-23

सम्मानीय सदस्यगणों,

सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक की चौतीसवीं साधारण सभा की बैठक के अवसर पर मैं सभी उपस्थित अंशधारी सदस्य महानुभावों एवं उपस्थित अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ।

भगवान सद्गुरू की असीम कृपा एवं आपके सहयोग से अब यह बैंक गौरवशाली पैतीसवें वर्ष में पदार्पण कर चुकी है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने में हमें प्रसन्नता हो रही है।

❖ **प्रगति की एक झलक :-**

गत तीन वित्तीय वर्षो का तुलनात्मक विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	2020-2021	2021-2022	2022-2023	गत वर्ष से प्रतिशत
01	सदस्य संख्या	9237	9157	9174	0.19
02	प्रदत्त अंश पूंजी	155.25	152.39	150.99	(-) 0.92
03	रक्षित एवं अन्य निधियाँ	1156.21	1224.08	1276.80	4.31
04	कुल जमा राशियाँ	10458.28	10065.54	9935.17	(-) 1.30
05	ऋण एवं अग्रिम	5370.99	5958.19	6471.74	8.62
06	कालातीत ऋण	202.97	256.52	316.90	23.54
07	वसूली का मांग से प्रतिशत	90.74	87.07	86.22	(-) 0.85
08	सकल एनपीए ऋण	300.61 (5.60%)	378.46 (6.35%)	378.43 (5.85%)	(-) 0.01
09	शुद्ध एनपीए ऋण (प्रतिशत में)	0.11	0.44	0.00	(-) 0.44
10	पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड*	15.30	15.03	15.42	2.59
11	सकल लाभ	155.45	147.01	101.11	(-) 31.22
12	शुद्ध लाभ	71.79	73.59	52.79	(-) 28.26
13	स्वयं की पूंजी	1311.46	1270.10	1332.06	4.88
14	कार्यशील पूंजी	11651.54	11335.64	11267.23	(-) 0.60
15	अंकेक्षण वर्गीकरण	अ	अ	अ	

* नियमानुसार 9 प्रतिशत आवश्यक है, जो 6.42 से अधिक है।

❖ **सदस्यता एवं अंश पूंजी:-**

प्रतिवेदन के लेखा वर्ष समाप्ति पर बैंक के सदस्यों की संख्या 9174 रही। बैंक के उपविधि क्रमांक 8 में संशोधन उपरांत बैंक की अधिकृत अंश पूंजी रूपये 500.00 लाख है। प्रतिवेदन वर्ष के प्रारंभ में प्रदत्त अंश पूंजी रूपये 152.39 लाख थी। प्रतिवेदन वर्ष में अंश पूंजी में रूपये 1.40 लाख की कमी होकर वर्षान्त पर अंशपूंजी रूपये 150.99 लाख रही अर्थात् 0.92 प्रतिशत की कमी हुई है।

❖ **रक्षित एवं अन्य निधियां:-**

वर्ष के प्रारंभ में रक्षित एवं अन्य निधियां रूपये 1224.08 लाख थी, इसमें रूपये 52.72 लाख की वृद्धि होकर वर्षान्त पर कुल रक्षित एवं अन्य निधियां रूपये 1276.80 लाख है अर्थात् 4.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

❖ **जमा राशियां :-**

वर्ष के प्रारंभ में अमानतें रूपये 10065.54 लाख थी, इसमें रूपये 130.37 लाख की कमी होकर वर्षान्त पर कुल जमा राशि रूपये 9935.17 लाख है अर्थात् 1.30 प्रतिशत की कमी हुई है।

कुल जमा राशियों में बचत बैंक जमा राशियां 27.40 प्रतिशत, चालू खाते की जमा राशियां 4.13 प्रतिशत एवं सावधि जमा राशियां 68.47 प्रतिशत हैं।

❖ **कार्यशील पूंजी:-**

प्रतिवेदन वर्ष के प्रारंभ में कार्यशील पूंजी रूपये 11335.64 लाख थी, इसमें राशि रूपये 68.41 लाख की कमी होकर वर्षान्त पर कुल कार्यशील पूंजी रूपये 11267.23 लाख हुई अर्थात् 0.60 प्रतिशत की कमी हुई है। कार्यशील पूंजी में निरंतर वृद्धि हेतु बैंक प्रबंधन प्रयत्नशील है।

❖ **ऋण एवं अग्रिम:-**

प्रतिवेदन वर्ष के प्रारंभ में बैंक का ऋण एवं अग्रिम रूपये 5958.19 लाख था। वर्षान्त 31 मार्च 2023 की स्थिति पर राशि रूपये 513.55 लाख की वृद्धि होकर रूपये 6471.74 लाख हो गया अर्थात् 8.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता के लिए अधिकतम ऋण वितरण सीमा बाबत दिये गये मार्गदर्शी दिशा-निर्देशानुसार वर्तमान में एकल उधारकर्ता को अधिकतम ऋण राशि रू. 99.62 लाख तथा समूह उधारकर्ता के लिए राशि रू. 166.03 लाख निर्धारित की गयी है। आलोच्य वर्ष में बैंक द्वारा आवास ऋण, अचल संपत्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत ऋण/ अधिविकर्ष सीमा, कार/दुपहिया वाहन ऋण, व्यवसायियों को ऋण, लघु एवं कुटीर उद्योग, वेतनधारी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत ऋण आदि प्रयोजनों के लिए अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराये जाने एवं ऋण बढ़ाने हेतु प्रयास किये गये। अंशधारी सदस्यों एवं ग्राहकों को अविलम्ब ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एवं ऋण स्वीकृति में लगने वाले समय में कमी लाने हेतु संचालक मंडल द्वारा अपने ऋण स्वीकृति के अधिकार शाखा प्रबंधक/प्रभारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ऋण समिति को प्रत्यायोजित किये गये हैं, फलस्वरूप सभी ऋण प्रकरणों में कम से कम समय में शाखा प्रबंधक या ऋण समिति द्वारा ऋण स्वीकृति प्रदान की जाती है। बैंक द्वारा समय-समय पर ऋण नीति की समीक्षा कर ऋण नियम एवं स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण कर ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि बाबत सघन प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रतिवेदन वर्ष में विभिन्न प्रयोजनों हेतु वितरित ऋण एवं अग्रिम निम्नानुसार हैं:- (राशि रूपये लाखों में)

01 अल्पकालीन ऋण:-	**राशि (31.03.2023)**	**कुल ऋण का %**
1. व्यावसायिक नकद साख सीमा	385.79	5.96
2. अधिविकर्ष सीमा (व्यक्तिगत)	1150.52	17.78
3. स्वर्ण आभूषण के तारण पर	35.19	0.54
4. सावधि जमा की प्रतिभूति पर	808.93	12.50
5. राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र आदि की प्रतिभूति पर	7.06	0.11
6. अन्य ऋण	1.18	0.02
योग	**2388.67**	**36.91**
02 मध्यम/दीर्घ अवधि ऋण :-		
1. व्यक्तिगत ऋण, अचल संपत्ति के बंधक के विरूद्ध, दुकान क्रय, व्यवसायिक ऋण वाहन ऋण आदि हेतु	2573.78	39.77
2. मकान निर्माण, मकान/फ्लैट क्रय, मरम्मत आदि हेतु	1509.29	23.32
योग	**4083.07**	**63.09**
कुल योग	**6471.74**	**100**

बैंक द्वारा अपनी ऋण एवं अग्रिम योजनाओं के ब्याज दरों को इस प्रकार अनुकूल बनाया गया है कि अन्य सहकारी बैंकों के साथ-साथ निजी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के अत्यंत प्रतिस्पर्धी ऋण योजनाओं की ब्याज दरों से स्पर्धा कर सकें। वर्षान्त पर ऋण एवं अग्रिमों का अमानतों से प्रतिशत 65.14 रहा तथापि उक्त प्रतिशत को बढ़ाने हेतु ऋण एवं अग्रिमों में वृद्धि बाबत अधिक प्रयास किये जा रहे हैं ।

❖ **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण:-**

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक को अपनी कुल एएनबीसी (Adjusted Net Bank Credit) राशि रूपये 5958.19 लाख का 60 प्रतिशत ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में तथा 11.50 प्रतिशत कमजोर वर्ग के लोगो को एवं सूक्ष्म उद्यमों को 7.50 प्रतिशत वितरित करना आवश्यक है । प्रतिवेदन वर्ष में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वितरित ऋण का एएनबीसी से प्रतिशत 57.17 तथा कमजोर वर्ग के लोगों को दिया गया ऋण का एएनबीसी से प्रतिशत 12.17 एवं सूक्ष्म उद्यमो को 35.82 प्रतिशत रहा। अत: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण वितरण निर्धारित माप दण्ड से 2.83 प्रतिशत कम है। परन्तु कमजोर वर्ग एवं सूक्ष्म उद्यमी अन्तर्गत निर्धारित माप दण्डों से अधिक प्रतिशत की प्राप्ति की गई है।

❖ **ऋण वसूली, कालातीत ऋण एवं वाद दायर प्रकरणों की स्थिति:-**

प्रतिवेदन वर्ष2022-2023 में कुल मांग रूपये 2299.37 लाख में से ऋण वसूली रूपये1982.47 लाख हुई एवं वर्षान्त 31 मार्च 2023 की स्थिति पर कालातीत ऋण शेष रूपये316.90 लाख रहा। गत वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्षान्त पर कालातीत ऋण शेष में रुपये60.38 लाख की वृद्धि हुई है, इस वर्षान्त पर ऋण वसूली का प्रतिशत 86.22 रहा है । वर्षान्त 31.03.2023 की स्थिति पर कालातीत ऋण प्रकरणों में वसूली हेतु धारा 64/84 - क में 35 प्रकरण राशि रूपये 82.40 लाख के न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, भोपाल में विचाराधीन है।

वर्षांत पर बैंक को न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के पश्चात निष्पादन द्वारा वसूली की धारा 85 के अंतर्गत 65 प्रकरण राशि रू. 97.46 लाख लंबित है।

प्रतिवेदन वर्ष में कालातीत एवं एनपीए ऋण प्रकरणों में ऋणियों एवं जमानतदारों से व्यक्तिगत संपर्क कर ऋण की समयबद्ध वसूली हेतु अधिक सघन प्रयास किये गये, परन्तु अनेकों बार निवेदन करने के बावजूद भी ऐसे ऋणी सदस्य जिनके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इस अवसर पर ऐसे ऋणी सदस्य एवं जमानतदार जिनके ऋण खाते कालातीत एवं एनपीए हुए हैं, उन महानुभावों से निवेदन है कि वे कृपया ऋण की कालातीत बकाया राशि यथा शीघ्र जमा करें, जमा कराने हेतु ऋणियों पर अपना प्रभाव डालकर हमें सहयोग प्रदान करें, जिससे बैंक के कालातीत ऋणों में तथा अनुत्पादक आस्तियों (एनपीए) में कमी लाई जा सकती है एवं बैंक के अन्य सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने में अधिक सुविधा हो सकती है।

❖ **वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हेतु प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही :**

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत राशि रू. 1.00 लाख से अधिक बकाया एनपीए ऋण प्रकरणों में सीधे तौर पर बिना किसी न्यायालयीन हस्तक्षेप के बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई संपत्ति से वसूली की कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत वर्षान्त 31 मार्च 2023 की स्थिति पर राशि रू. 340.09 लाख के 23 प्रकरण कार्यवाही हेतु लंबित थे।

❖ **अनुत्पादक आस्तियाँ (एनपीए ऋण)**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश एवं मानदण्डो के पालन में बैंक के ऋण एवं अग्रिम प्रकरणों को उधारकर्ताओं द्वारा ऋण खातों में किये गये व्यवहार एवं जमा की गई मासिक किस्त/ ब्याज की वसूली के आधार पर मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिगत आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति पर बैंक का कुल ऋण शेष राशि रूपये 6471.74 लाख था उक्त ऋण में से अवमानक,संदिग्ध एवं हानिगत प्रकरणों की ऋण राशि रूपये378.43 लाख के लिये वर्षान्त पर राशि रूपये 246.16 लाख का प्रावधान आवश्यक था, जिसके विरूद्ध बैंक द्वारा डुबंत एवं संदिग्ध ऋण कोष के अन्तर्गत राशि रूपये384.74 लाख का प्रावधान किया गया है एवं मानक ऋण प्रकरणों की राशि रू. 6093.31 लाख के विरूद्ध आवश्यक प्रावधान राशि रू. 26.37 लाख किया जाना आवश्यक है जिसके विरूद्ध मानक संपत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान के अंतर्गत राशि रू. 26.59 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रतिवेदन वर्ष समाप्ति पर बैंक के सकल एनपीए की राशि रूपये 378.43 लाख है तथा सकल एनपीए 5.85 प्रतिशत है एवं बैंक का शुद्ध एनपीए शून्य प्रतिशत रहा।

❖ **लाभ का विभाजन :-**

बैंक द्वारा वर्ष 2022-2023 में सकल लाभ राशि रू. 1,01,11,372.28 लाख अर्जित किया है। नियमानुसार सकल लाभ में से निधियों एवं प्रावधानों में समायोजित करने उपरांत शुद्ध लाभ राशि रूपये 52,79,266.08 है। अत: उक्त शुद्ध लाभ का विभाजन निम्नानुसार प्रस्तावित है, कृपया अनुमोदन करने का कष्ट करें :-

क्रमांक	मद	राशि रूपये
01	रक्षित निधि	13,19,817.00
02	डूबत एवं संदिग्ध ऋण निधि	12,60,561.08
03	मानक संपत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान	3,00,000.00
04	भवन निधि	2,63,963.00
05	विकास निधि	52,790.00
06	लाभांश संतुलन निधि	25,000.00
07	कर्मचारी कल्याण निधि	25,000.00
08	कर्मचारी खेल एवं सांस्कृतिक निधि	11,000.00
09	दान निधि	17,690.00
10	शैक्षणिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता पुरस्कार एवं कर्मचारी के लिये पुरस्कार निधि	50,000.00
11	प्रशिक्षण निधि	1,05,585.00
12	अंशो पर लाभांश (10 प्रतिशत)	15,29,635.00
13	बोनस/एक्सग्रेशिया (09.50 प्रतिशत)	3,18,225.00
	कुल योग	**52,79,266.08**

नोट: बैंक द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु शुद्ध लाभ का विभाजन करते समय अंशधारी सदस्यों को उनके धारित अंशो पर 10 प्रतिशत की दर से लाभांश वितरित करने की अनुशंसा की गयी है। कृपया उक्त प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

❖ **निवेश :-**

बैंक द्वारा प्रतिवेदन वर्ष में राशि रूपये 4377.78 लाख विनियोजित की गई है जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों को यथा लागू) की धारा 24 के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2023 की स्थिति पर राशि रूपये 1990.27 लाख का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में तथा राशि रू. 1905.82 लाख स्टेट बैंक आफ इंडिया एवं उनकी सहायक बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में तथा टैक्स फ्री पी.एस.यू. एवं नान एस एल बॉण्ड में राशि रू. 481.69 लाख का निवेश किया है। उक्तानुसार कुल विनियोजित राशि पर बैंक द्वारा राशि रुपये 329.19 लाख का ब्याज अर्जित किया है। निवेशों में कोई एन.पी.ए. नहीं है।

❖ **बैंक की पूंजी पर्याप्तता मानदंड अनुसार पूंजी में जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर):-**

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उनके परिपत्रों में दिये गये मानदंडों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये दिनांक 31 मार्च 2023 की स्थिति पर पूंजी पर्याप्तता मानदंड की गणना की गयी । भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक को पूंजी पर्याप्तता मानदंड 9 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति पर बैंक का जोखिम भारांकित आस्तियों में पूंजी निधियों का प्रतिशत 15.42 है जो कि आवश्यक न्यूनतम सीमा से 6.42 प्रतिशत अधिक है ।

❖ **बजट :-**

संचालक मंडल द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2024-2025 का अनुमानित आय-व्यय पत्रक (बजट) इस साधारण सभा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। आय-व्यय पत्रक (बजट) का विवरण प्रस्तुत प्रतिवेदन में पृष्ठ क्रमांक 18 एवं 19 पर दिया गया है।

❖ **निरीक्षण/अंकेक्षण :-**

वर्ष **2022-23** के वित्तीय पत्रकों का अंकेक्षण मेसर्स अग्रवाल कान्हेरे एसोसिएट, सनदी लेखापाल द्वारा किया गया। बैंक के वित्तीय पत्रकों एवं प्रगति के आधार पर सनदी लेखाकार द्वारा बैंक को '**अ**' वर्गीकृत किया है। यह सूचित करते हुये अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अपना बैंक स्थापना वर्ष से निरंतर अंकेक्षण में '**अ**' वर्ग प्राप्त कर रहा है। सनदी लेखापाल द्वारा अंकेक्षित वित्तीय पत्रको को आडिट नोट के साथ कार्यालय संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल में दिनांक30.06.2023 को निर्गमित किया गया है।

❖ **इस वर्ष बैंक द्वारा आयोजित की गई बैठकें :-**

प्रतिवेदन वर्ष में संचालक मंडल की15, ऋण उप-समिति की 27 , लेखा परीक्षण समिति की 4, परचेस कमेटी की9, निवेश समिति की 18, अल्को समिति की4, स्टाफ समिति की 2, रिकवरी एवं एन.पी.ए. मैनेजमेंट कमेटी की 4 बैठकें सम्पन्न हुई।

❖ **मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण:-**

बैंक प्रबंधन द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कौशल एवं कार्यकुशलता के विकास के लिये समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमीनार में भेजा जाता है। मानव संसाधन के विकास हेतु बैंक द्वारा अपने कर्मचारी एवं अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेज कर उनकी कार्यक्षमता एवं ज्ञान में वृद्धि बाबत विशेष ध्यान दिया जाता है।

❖ **वर्तमान बैकिंग प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में बैंक की कार्यनीति :**

वर्तमान में बैंकिग व्यवसाय आर्थिक संकट से जूझ रहा है । अनेक राष्ट्रीयकृत बैंक व कुछ निजी क्षेत्रों के बैकों के एनपीए में वृद्धि हुई है । आपको जानकर प्रसन्नता होगी की आर्थिक संकट के इस दौर में भी आपकी बैंक सक्षम रूप से निर्बाध कार्यरत है व पूर्व अनुसार इस वर्ष भी लाभप्रद स्थिति में है ।

आपकी बैंक की अपनी सक्षम आर्थिक स्थिति एवं प्रबंधन के कारण व्यवसाय में वृद्धि करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है इसलिए बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बैंक के सीडी रेशो में यथाशीघ्र सकारात्मक और भी अधिक वृद्धि की जाये, इस हेतु बैंक का यह प्रयास होगा कि उच्च मूल्य के गुणवत्ता वाले ऋण प्रकरणों के स्वीकृति में यथाशीघ्र एवं उचित निर्णय लेवें साथ ही बैंक के लाभ में और भी अधिक वृद्धि हेतु यह भी प्रयास होगा कि एनपीए खातों के अप्राप्त ब्याज व मूलधन की वसूली हेतु और भी अधिक सघन प्रयास करे । ग्राहकों एवं अंशधारियों को डिपॉजिट पर आकर्षक ब्याज दर दी जा रही है । वर्तमान में देश की 70 प्रतिशत आबादी युवाओं की है, उन्हें भी आकर्षित करने हेतु एटीएम कार्ड से ई-कॉमर्स, उन्नत क्लियरिंग आदि सेवाऐं अतिशीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें वर्तमान में शनै: शनै: प्रगति हो रही है। इसी प्रकार लघु युवा उद्यमियों एवं समाज के असंगठित क्षेत्र के निवासियों हेतु लघु क्रेडिट स्कीम के माध्यम से ऋण प्रदाय करना, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को बैंक से जोडा जा सके। आपको अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि बैंक द्वारा होस्ट-टू-होस्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी सुविधा अपने ग्राहको हेतु प्रदान की जा चुकी है।

❖ **अपने ग्राहक को जानिए "केवायसी नॉर्म्स" :-**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार बैंक के अंशधारी सदस्यों एवं ग्राहकों के खातों में अपने ग्राहक को जानिए "केवायसी नॉर्म्स" का पालन करना अनिवार्य है । अत: बैंक के सभी अंशधारी सदस्य एवं ग्राहकों से निवेदन है कि कृपया अपनी शाखा /प्रधान कार्यालय में पधारकर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर अपने खाते /सदस्यता आवेदन में वांछित "केवायसी नॉर्म्स" ।(वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि)को पूर्ण कर, सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

❖ **मेधावी छात्र /छात्राऐं, खिलाडियों, बैंक कर्मचारियों एवं शिक्षक / शिक्षिकाओं का सम्मान पुरस्कार :-**

बैंक द्वारा गत बाईस वर्षो से बैंक के अंशधारी सदस्यों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये शैक्षणिक पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बैंक के संस्थापक माननीय स्व.श्री राजाभाऊ कुलकर्णी की स्मृति में मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है इसके साथ ही बैंक के प्रथम अध्यक्ष माननीय स्व.श्री अवधूत विनायक कविश्वर की स्मृति में खेलकूद पुरस्कार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों, बैंक की पूर्व उपाध्यक्ष माननीय स्व.श्रीमती उषा कदम की स्मृति में शिक्षक/शिक्षिकाओं का सम्मान एवं सम्पूर्ण वर्ष के दौरान बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये उत्कृष्ट, उल्लेखनीय, प्रशंसनीय कार्य हेतु अधिकारी वर्ग को दिये जाने वाला पुरस्कार, बैंक के पूर्व अध्यक्ष स्व. श्री अनिल पांडे की स्मृति में कर्मचारी वर्ग को दिये जाने वाला गौरव पुरस्कार, बैंक के पूर्व अध्यक्ष स्व. श्री ग.ल. पराडकर के स्मृति में नगद राशि, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 हेतु उक्त कार्यक्रम का आयोजन रविवार, दिनांक 24.09.2023 को प्रात: 11:00 बजे समन्वय भवन, अपैक्स बैंक, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर, भोपाल में आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है।

❖ **ग्राहक सुविधाः-**

हम यह मानते हैं कि ग्राहक सर्वोपरि हैं एवं उनके पास सेवा पाने के विकल्प के रूप में अनेकों वित्तीय संस्थाऐं एवं बैंक उपलब्ध होते हुये भी वे हमारे साथ जुड़े हुये हैं । वर्तमान में बैंकों में चल रही प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाऐं प्रदान करने की दृष्टि से अनेकों उपाय किये जा रहें हैं एवं नयी-नयी आकर्षक ऋण योजनाऐं न्यूनतम ब्याज दर पर जैसे - आवास ऋण, कार ऋण,स्वर्ण आभूषण के तारण पर ऋण, व्यक्तिगत ऋण, उपभोक्ता ऋण, व्यवसायियों हेतु नगद साख सीमा,अधिविकर्ष सीमा, अचल संपत्ति के बंधक पर सावधि ऋण, बैंक के अंशधारी सदस्यों हेतु सुलभ ऋण योजना लागू की गई हैं । साथ ही उत्तम ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने हेतु बैंक की तीनों शाखाएं पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत सेवारत हैं । बैंक द्वारा एचडीएफसी बैंक से अपने ग्राहकों हेतु आरटीजीएस/एनईएफटी की सुविधा ली गई है ताकि अन्य बैंको के समान हमारे ग्राहक भी उक्त सुविधा का लाभ ले सकें। बैंक की तीनों शाखाओं में लॉकर सुविधा उपलब्ध है । बैंक द्वारा अपने सदस्यों एवं ग्राहकों को एटीएम की सुविधा उपलब्ध करायी गई है । सभी अंशधारी सदस्यों एवं ग्राहकों से निवेदन है कि बैंक द्वारा दी जा रही सभी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठायें। बैंक के ऋण एवं अग्रिम को बढ़ाने हेतु बैंक के अंशधारी सदस्यों से निरंतर संपर्क कर उन्हें ऋण एवं अग्रिम के ब्याज दरों से अवगत कराया जा रहा है एवं वर्तमान बैंकिग रूझानों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी बैंक विपणन रणनीति को अपनाते हुए कार्यरत है।

❖ **कोर-बैंकिंग / अन्य सुविधाएं :-**

1. बैंक की तीनों शाखाऐं एवं प्रधान कार्यालय में सीबीएस सॉफ्टवेयर लगने से सभी शाखाऐं कोर-बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रही हैं, तथापि तीनों शाखाऐं आपस में जोड़ने से बैंक के ग्राहकों को बैंकिंग की सेवाऐं सभी शाखाओं से प्राप्त हो रही हैं।
2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि अमानतों पर 0.50 प्रतिशत अधिक ब्याज दर की सुविधा प्रदान की गई है।
3. समस्त अंशधारी सदस्यों से निवेदन है कि पूर्वानुसार ब्याज की राशि से आयकर कटौत्रा में छूट पाने हेतु वे अपनी शाखा में उपस्थित होकर वांछित फार्म 15जी/ 15 एच जो भी लागू हो, अवश्य जमा करें अन्यथा उन्हें प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि यदि आयकर नियम के अंतर्गत आती है तो कर का कटौत्रा कर आयकर विभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा। साथ ही कृपया अवगत हो कि आप अपना आयकर पेन नम्बर अनिवार्य रूप से संबंधित शाखा में उपलब्ध करायें अन्यथा उक्त स्थिति में नियमानुसार निर्धारित दर से कटौत्रा किया जावेगा।
4. वरिष्ठ, वृद्धजन एवं दिव्यांग ग्राहकों हेतु ''घर पहुंच सुविधा'' भी उपलब्ध है।

❖ **सुलभ ऋण योजनाः-**

बैंक द्वारा अपने अंशधारी सदस्यों के लिए उनकी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तुरंत ऋण सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से **''सुलभ ऋण योजना''** प्रारंभ की गई है, जिसके तहत राशि रू. 1 लाख तक का ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

❖ **सुगम ऋण योजनाः-**

बैंक द्वारा कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर उनका आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से **''सुगम ऋण योजना''** प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत बिना किसी व्यक्ति की जमानत के न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ राशि रू. 50 हजार का ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

❖ **बैंक के द्वारा वित्तीय वर्ष में सम्माननीय अंशधारी सदस्यों, ग्राहकों एवं अधिकारी/कर्मचारियों हेतु किये गये कार्य/दी गई सुविधाए आदिः-**

1. बैंक द्वारा अपने अधिकारी/कर्मचारियों एवं उनके परिवार हेतु आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी की 'ग्रुप मेडिशील्ड पॉलिसी' ली गई थी, अवगत हो उक्त योजना में इच्छुक अधिकारियों / कर्मचारियों के इंश्योरेन्स का नवीनीकरण दिनांक 16.07.23 को पुनः किया गया, साथ ही अतिरिक्त एक्सीडेंटल पॉलिसी भी ली गई है, यह योजना आने वाले वर्षों में भी अतिरिक्त लाभों के साथ जारी रहेगी।
2. बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जिनके द्वारा पूर्व में बैंक से प्राप्त ऋण की नियमित अदायगी की गई है,उन्हें न्यूनतम औपचारिकताओं के तहत राशि रू.3.00 लाख तक का ऋण प्रदान करने हेतु विशेष व्यक्तिगत ऋण योजना प्रारंभ की गई है।

3. शैक्षणिक ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा राशि 10.00 लाख से बढ़ाकर राशि रू. 40.00 लाख की गई है।
4. ऋण स्वीकृति हेतु वेतनधारियों की आयु सीमा 62 वर्ष की गई एवं व्यवसायियों की आयु सीमा अधिकतम 70 वर्ष की गई है।
5. आवास प्लस ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण राशि रू. 2.00 लाख से बढाकर राशि रू. 5.00 लाख की गई है।
6. ग्राहकों के मियादी जमा रसीदें नियत दिनांक पर स्वत: नवीनीकरण पद्धति से नवीनीकृत की जा रही है ।

❖ बैंक के व्यवसाय एवं लाभ में वृद्धि करने हेतु किये जाने वाले कार्य निम्न हैं:-

1. बैंक के लाभ का अधिकांश प्रतिशत बिना ब्याज आय के रूप में अर्जित करने हेतु प्रयास जारी है। वर्तमान में बैंक द्वारा निश्चित दर पर ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रेटिंग बेस्ड आधार पर भी ऋणियों को ऋण प्रदान करना, ताकि अच्छे ऋणियों को ऋण दर में लाभ प्रदान किया जा सके ।
2. बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करने हेतु मार्केटिंग हब को स्थापित किया गया है ।
3. वर्तमान सकल एनपीए में कमी लाने हेतु और अधिक प्रयास किये जावेगें।
4. बैंक अपने ग्राहकों एवं अंशधारी सदस्यों हेतु कार्पोरेट एजेंन्ट के रूप में सम्पूर्ण जनरल इंश्योरेंस मेडीक्लेम के अंतर्गत पॉलिसी जारी करने हेतु इंश्योरेन्स हब स्थापित करने बाबत् कार्यवाही प्रगति पर है।अवगत हो वर्तमान में यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस से अनुबंध किया गया है।
5. बैक के ग्राहकों को एटीएम कार्ड की सहायता से ईकॉमर्स की सेवायें शीघ्र उपलब्ध कराई जाने हेतु बैंक प्रयासरत है।
6. **बैंक जमाकर्ता की जमा राशि 5.00 लाख तक बीमा डिपाजिट इंश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारन्टी कॉर्पोरेशन द्वारा सुरक्षित है।**

❖ आभार:-

मैं, बैंक के सभी अंशधारी सदस्यों, ग्राहकों, संस्थाओं, शुभचिन्तकों तथा कार्मिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बैंक की प्रगति एवं विकास में अपना योगदान दिया। बैंक की प्रगति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल, संयुक्त आयुक्त, सहकारी संस्थाऐं, भोपाल तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, भोपाल को-ऑपरेटिव्ह सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल, भारतीय स्टेट बैंक भोपाल, एचडीएफसी बैंक, भोपाल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भोपाल, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भोपाल, आईडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भोपाल, एक्सिस बैंक, भोपाल , दि श्यामरॉव विट्ठल को-ऑपरेटिव बैंक, एवं आईडीबीआई बैंक,डी.सी.बी बैंक, आईसीआईसीआई लॉम्बर्ड इंश्योरेंस कम्पनी, कोटक जनरल इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम, न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी, नेशनल इश्योरेंस कंपनी भोपाल, ट्रस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रा.लि., एन.पी.सी.आई. के समस्त अधिकारियों, प्रबंधकों एवं सभी सलाहकारों द्वारा समय-समय पर दिये गये सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आभारी हूँ , इसके साथ ही मैं सनदी लेखाकार मेसर्स सीए अग्रवाल कान्हेरे एसोसिएट पार्टनर अशोक कुमार अग्रवाल सनदी लेखापाल का भी आभारी हूं जिन्होंने बैंक के लेखाओं का लेखा परीक्षण किया है। साथ ही विशेष तौर पर उपायुक्त महोदय डॉ. छबिकांत बाघमारे जी एवं संयुक्त आयुक्त महोदय श्री विनोद कुमार सिंह जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने बैंक में प्रशासक के रूप में बैंक की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दिया है ।

निवेदन:- कृपया प्रस्तुत प्रतिवेदन में दर्शाये गए अंकेक्षित स्थिति विवरण, लाभ-हानि पत्रक एवं आगामी वर्ष 2024-2025 हेतु प्रस्तावित बजट, वार्षिक कार्ययोजना आदि पर स्वीकृति प्रदान करें/अनुमोदन करें, यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

टीप: वार्षिक प्रतिवेदन के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं विवरण पूर्ण रूपेण त्रुटिरहित हो, प्रबंधन द्वारा इसका यथा संभव प्रयास किया गया है। तथापि किसी प्रकार की टंकण त्रुटि, आदि की स्थिति में बैंक का मूल अभिलेख ही अंतिम माना जावेगा।

विलास बुचके
अध्यक्ष

परिवर्तित पता/खाता क्रमांक सूचित करने बाबत निवेदन

बैंक के सभी अंशधारी सदस्यों से निवेदन है कि यदि आपका एवं आपके परिचित सदस्यों का पता बदल गया हो, तो कृपया अपना एवं अपने परिचित सदस्य का परिवर्तित पता एवं आपको समय-समय पर देय लाभांश की राशि जमा करने हेतु इस बैंक की शाखा में खोले गये बचत खाता क्रमांक, बैंक के प्रधान कार्यालय, शेयर कक्ष को लिखित में सूचित करने का कष्ट करें, ताकि परिवर्तित पता शेयर पंजी में नोट किया जा सके एवं भविष्य में आपको वार्षिक प्रतिवेदन तथा समय-समय पर बैंक की गतिविधियों की जानकारी भेजने में सुविधा हो ।

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

मैं, निम्न हस्ताक्षरकर्ता अंकेक्षण विवरण प्रमाणित करता हूं कि मेरी फर्म के अंकेक्षण अधिकारी, निरीक्षण एवं ऑडिटर ने सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,भोपाल का वर्ष 2022–2023 का अंकेक्षण मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम एवं पंजीयक, सहकारी समितियां, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया है। बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र / लाइसेंस बैंक में उपलब्ध है।

मेरे द्वारा सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति का विवरण पत्रक तथा लाभ हानि पत्रक, जो उस दिनांक से समाप्त होने वाले लेखाओं से संबंधित है, का परीक्षण प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं द्वारा भेजे गए प्रमाणित लेखाओं के आधार पर किया गया है जो कि इन पत्रकों में सम्मिलित है।

अतः मेरे मत के अंकेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तुत टिप्पणियों एवं आक्षेपों को छोड़कर, मैं सूचित करता हूँ किः–

1. बैंक का व्यवसाय आमतौर पर विधिवत उपनियमों एवं नियमों के अंतर्गत तथा पंजीयक सहकारी समिति भोपाल के प्रशासनिक निर्देशों के एवं बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है।
2. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक परिपूर्ण तथा ठीक है। आवश्यक सभी जानकारियाँ जो कि बैंक के व्यवहार एवं स्थिति को दर्शाते हैं उनका समावेश इन पत्रकों में हैं। मुझे जो जानकारी बैंक की स्थिति के सम्बंध में बताई गयी है तथा जो खातों में दर्शाई गयी है उनका समावेश इन पत्रकों में है। आपत्तियॉ ऑडिट नोट में बताई गई है।
3. आवश्यकतानुसार समस्त जानकारी मेरे संतोष होने तक बैंक द्वारा मुझे उपलब्ध करायी गई है।
4. बैंक का समस्त व्यवहार, व्यवसाय निर्धारित कार्य सीमा के अंतर्गत किया गया है।
5. अंकेक्षण हेतु जो पत्रक बुलाये गए सभी पूर्ण एवं पर्याप्त है।
6. लाभ हानि पत्रक शेष लाभ का सही चित्रण करता है।
7. बैंक की स्थिति विवरण पत्रक एवं लाभ हानि पत्रक नियमों के अनुरूप रखे गए है।
8. मेरे मत से बैंक की समस्त लेखा पुस्तिकाएं आवश्यकता के अनुरूप रखी गयी है।

अतः मै अधिकोष को पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित निर्देशों में दी गई कसौटी एवं दिशा–निर्देशों एवं तथ्यों के आधार पर बैंक को "अ" वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ।

कृते मेसर्स अग्रवाल कान्हेरे एसोसिएट्स

स्थानः भोपाल

दिनांकः 30.06.2023

UDIN:23075857BGWRHP4680

पार्टनर अशोक कुमार अग्रवाल

चार्टड अकाउंटेंट

एम.नं. 075857

एफ आर.एन. 008165 सी

नोटः सनदी लेखापाल द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022–2023 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रको को आडिट नोट के साथ कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता जिला भोपाल, में दिनांक 30.06.2023 को निर्गमित हो चुका है।

दिनाँक 31.03.2023 पर

(राशि रूपये में)

31.03.2022	संपत्ति एवं आस्तियाँ	31.03.2023
36,29,590.00	1. रोकड़	30,89,652.00
4,39,99,417.73	2. अन्य अधिकोषों में जमा राशि	7,10,94,563.01
–	3. अभियाचित एवं अल्पावधि अमानतें	–
52,03,71,856.00	4. विनियोग	43,77,28,312.00
–	5. राज्य भागीदारी/मूल सहायक पूँजी में विनियोग	–
59,58,18,967.59	6. ऋण एवं अग्रिम (परिशिष्ट चार)	64,71,74,046.43
	7. प्राप्ति योग्य ब्याज	–
1,69,19,420.87	अ. विनियोजन पर	1,60,88,026.30
22,34,96,468.89	ब. ऋण एवं अग्रिम पर	27,15,33,367.89
5,30,859.00	स. स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ एक्सग्रेशिया	–
–	8. वसूली योग्य बिल	–
6,31,979.13	9. कम्प्यूटर्स/इनकोडर,हार्डवेयर आदि(अवक्षयण घटाकर)	9,64,860.55
8,53,282.20	10. भूमि एवं भवन (अवक्षयण घटाकर)	7,67,954.20
1,06,36,872.50	11. संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन	95,73,185.50
19,77,273.66	12. फर्नीचर एवं फिक्सचर (अवक्षयण घटाकर)	17,63,138.17
802.00	13. पुस्तकालय	321.00
43,01,725.14	14. अन्य लेनदारियाँ (परिशिष्ट पाँच)	35,29,106.03
–	15. नॉन बैंकिंग संपत्तियाँ (जो दावों व ऋणों की वसूलियों में प्राप्त हुई हैं।)	–
–	16. शाखाओं का जमा खर्च	17,65,997.00
1,42,31,68,514.71	**पूर्ण योग :-**	**1,46,50,72,530.08**
	आकस्मिक आस्तियाँ (As per contra entry)	
5,00,000.00	1. बैंक ग्यारंटी इश्यु	5,12,683.00
5,35,710.00	2. आयकर मांग	–

विनोद कुमार सिंह
प्रशासक

दिनाँक 31.03.2023 पर

(राशि रूपये में)

31.03.2022	संपत्ति एवं आस्तियाँ	31.03.2023
36,29,590.00	1. रोकड़	30,89,652.00
4,39,99,417.73	2. अन्य अधिकोषों में जमा राशि	7,10,94,563.01
–	3. अभियाचित एवं अल्पावधि अमानतें	–
52,03,71,856.00	4. विनियोग	43,77,28,312.00
–	5. राज्य भागीदारी/मूल सहायक पूँजी में विनियोग	–
59,58,18,967.59	6. ऋण एवं अग्रिम (परिशिष्ट चार)	64,71,74,046.43
	7. प्राप्ति योग्य ब्याज	–
1,69,19,420.87	अ. विनियोजन पर	1,60,88,026.30
22,34,96,468.89	ब. ऋण एवं अग्रिम पर	27,15,33,367.89
5,30,859.00	स. स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ एक्सग्रेशिया	–
–	8. वसूली योग्य बिल	–
6,31,979.13	9. कम्प्यूटर्स/इनकोडर,हार्डवेयर आदि(अवक्षयण घटाकर)	9,64,860.55
8,53,282.20	10. भूमि एवं भवन (अवक्षयण घटाकर)	7,67,954.20
1,06,36,872.50	11. संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन	95,73,185.50
19,77,273.66	12. फर्नीचर एवं फिक्सचर (अवक्षयण घटाकर)	17,63,138.17
802.00	13. पुस्तकालय	321.00
43,01,725.14	14. अन्य लेनदारियाँ (परिशिष्ट पाँच)	35,29,106.03
–	15. नॉन बैंकिंग संपत्तियाँ (जो दावों व ऋणों की वसूलियों में प्राप्त हुई हैं।)	–
–	16. शाखाओं का जमा खर्च	17,65,997.00
1,42,31,68,514.74	**पूर्ण योग :-**	**1,46,50,72,530.08**
	आकस्मिक आस्तियाँ (As per contra entry)	
5,00,000.00	1. बैंक ग्यारंटी इश्यु	5,12,683.00
5,35,710.00	2. आयकर मांग	–

विनोद कुमार सिंह
प्रशासक

दिनाँक 31.03.2023 पर

(राशि रूपये में)

31.03.2022	संपत्ति एवं आस्तियाँ	31.03.2023
36,29,590.00	1. रोकड़	30,89,652.00
4,39,99,417.73	2. अन्य अधिकोषों में जमा राशि	7,10,94,563.01
–	3. अभियाचित एवं अल्पावधि अमानतें	–
52,03,71,856.00	4. विनियोग	43,77,28,312.00
–	5. राज्य भागीदारी/मूल सहायक पूँजी में विनियोग	–
59,58,18,967.59	6. ऋण एवं अग्रिम (परिशिष्ट चार)	64,71,74,046.43
	7. प्राप्ति योग्य ब्याज	–
1,69,19,420.87	अ. विनियोजन पर	1,60,88,026.30
22,34,96,468.89	ब. ऋण एवं अग्रिम पर	27,15,33,367.89
5,30,859.00	स. स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ एक्सग्रेशिया	–
–	8. वसूली योग्य बिल	–
6,31,979.13	9. कम्प्यूटर्स/इनकोडर,हार्डवेयर आदि(अवक्षयण घटाकर)	9,64,860.55
8,53,282.20	10. भूमि एवं भवन (अवक्षयण घटाकर)	7,67,954.20
1,06,36,872.50	11. संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन	95,73,185.50
19,77,273.66	12. फर्नीचर एवं फिक्सचर (अवक्षयण घटाकर)	17,63,138.17
802.00	13. पुस्तकालय	321.00
43,01,725.14	14. अन्य लेनदारियाँ (परिशिष्ट पाँच)	35,29,106.03
–	15. नॉन बैंकिंग संपत्तियाँ (जो दावों व ऋणों की वसूलियों में प्राप्त हुई हैं।)	–
–	16. शाखाओं का जमा खर्च	17,65,997.00
1,42,31,68,514.71	**पूर्ण योग :-**	**1,46,50,72,530.08**
	आकस्मिक आस्तियाँ (As per contra entry)	
5,00,000.00	1. बैंक ग्यारंटी इश्यु	5,12,683.00
5,35,710.00	2. आयकर मांग	–

विनोद कुमार सिंह
प्रशासक

लाभ-हानि पत्रक -

हानि

(राशि रूपये में)

2021-2022	व्यय का विवरण	2022-2023
4,86,83,600.40	1. अमानतों एवं आहरण पर ब्याज	4,58,81,930.00
1,91,17,245.00	2. कर्मचारी वेतन एवं भत्ते तथा भविष्य निधि	2,27,66,013.00
4,50,700.00	3. संचालकों का यात्रा भत्ता, बैठक शुल्क एवं परिवहन व्यय	2,92,100.00
29,25,115.21	4. कर, किराया, बीमा एवं विद्युत व्यय	28,73,828.90
65,390.00	5. कानूनी व्यय	1,21,302.00
1,99,842.70	6. डाक एवं दूरभाष	1,65,497.26
2,69,400.00	7. अंकेक्षण शुल्क	2,88,200.00
19,25,788.89	8. संपत्तियों पर ह्रास एवं मरम्मत (अवक्षयण)	17,72,406.56
8,30,605.16	9. लेखन सामग्री मुद्रण एवं विज्ञापन	7,09,689.92
47,95,588.32	10. विविध व्यय (परिशिष्ट छः)	56,84,116.01
46,80,086.00	11. अन्य निधियाँ, कोष एवं प्रावधान (परिशिष्ट सात)	20,11,347.00
73,59,043.96	12. शुद्ध लाभ	52,79,266.08
9,13,02,405.64	**पूर्ण योग :**	**8,78,45,696.73**

अजय नान्देड़कर
प्रबंधक

अजय खनगन
प्र.मु.का. अधिकारी

मेसर्स अग्रवाल कान्हेरे एसोसिएट
चार्टड अकाउंटेंट

वर्ष 2022-2023

लाभ

(राशि रूपये में)

2021-2022		आय का विवरण		2022-2023
8,77,75,562.40	1.	ब्याज एवं मितिकाटा		8,39,83,887.48
4,86,62,490.78		अ. ऋणों पर	5,10,06,866.20	
3,91,13,071.62		ब. विनियोजन पर	3,29,18,663.28	
		स. अन्य	58,358.00	
25,422.17	2.	कमीशन, विनिमय एवं दलाली		49,497.64
-	3.	साहियकी और संदान		-
-	4.	गैर बैंककारी आस्तियों से आय तथा ऐसी आस्तियों के विक्रय या उनमें किये गये व्यवहार में हुआ लाभ		42,663.59
35,01,421.07	5.	अन्य प्राप्तियाँ		37,69,648.02
8,37,750.00		1. लॉकर किराया	8,49,500.00	
7,81,610.00		2. प्रोसेसिंग फीस	7,94,942.00	
270.00		3. नाममात्र सदस्यता शुल्क	325.00	
9,91,210.16		4. अन्य आय	9,26,780.07	
875.00		5. अंश हस्तांतरण शुल्क	1,336.00	
79,700.00		6. सिबिल फीस	76,400.00	
15,300.00		7. सरसाई फीस	33,987.00	
		8. निधियों में हस्तांतरण (आयकर अदा किया गया है)		
4,000.00		अ. कर्मचारी प्रशिक्षण निधि	3540.00	
		ब. शैक्षणिक पुरस्कार निधि	1,31,184.00	
7,68,758.00		9. आयकर रिफंड	8,84,156.00	
6562.91		10. एटीएम कमीशन (एसबीआई)	46729.95	
15,385.00		11. दैनिक जमा खातों पर प्राप्त दण्ड	20,768.00	
9,13,02,405.64		**पूर्ण योग :-**		**8,78,45,696.73**

विनोद कुमार सिंह
प्रशासक

31.03.2022				31.03.2023
परिशिष्ट - एक	**2.**	**रक्षित एवं अन्य निधियाँ**		**(राशि रूपये में)**
12,24,07,645.10				**12,76,80,033.06**
3,40,17,644.19	1.	रक्षित निधि	3,62,893,90.19	
1,37,18,934.08	2.	भवन निधि	1,40,86,886.08	
36,85,731.50,	3.	लाभांश संतुलन निधि	37,10,731.50	
3,51,91,805.76	4.	डूबंत एवं संदिग्ध ऋण कोष	3,84,73,630.72	
23,58,956.95	5.	मानक संप.के प्रति आक.प्रा.	26,58,956.95	
54,52,043.13	6.	विकास निधि	1,05,25,633.13	
1,25,000.00	7.	सामान्य हित निधि	1,25,000.00	
23,05,218.00	8.	कर्मचारी कल्याण निधि	23,30,218.00	
7,66,819.00	9.	दान निधि	8,34,324.00	
3,71,311.75	10.	शैक्षणिक पुरस्कार निधि	2,65,127.75	
7,82,584.72	11.	कर्मचारी खेल एवं सांस्कृतिक निधि	7,93,584.72	
13,73,278.00	12.	रजत/स्वर्ण जयंती निधि	13,73,278.00	
8,58,300.00	13.	वाहन क्रय निधि	8,58,300.00	
36,09,713.00	14.	स्पेशल रिजर्व	37,84,713.00	
11,05,445.52	15.	ट्रेनिंग फंड	12,49,086.52	
4,79,850.00	16.	इन्वेस्टमेंट फ्लकच्यूएशन रिजर्व	4,79,850.00	
1,06,36,872.50	17.	रीवेल्यूएशन रिजर्व	95,73,185.50	
2,33,300.00	18.	संगोष्ठी/सम्मेलन फंड	2,33,300.00	
34,837.00	19.	सामान्य प्रावधान	34,837.00	
53,00,000.00	20.	कोविड 19 तनाव के लिये प्रावधान	-	
परिशिष्ट - दो	**4.**	**अमानतें एवं अन्य खातें**		**(राशि रूपये में)**
1,00,65,54,352.11				**99,35,17,082.18**
	1.	**सावधि जमा खाता**		
8,36,80,781.00		अ. व्यक्तिगत	8,53,62,082.00	
6,37,25,000.00		ब. सहकारी समितियाँ	4,15,84,318.00	
-		स. संस्थागत	-	
	2.	**बचत खाता**		
22,58,93,596.74		अ. व्यक्तिगत	23,47,62,251.02	
3,68,46,664.02		ब. सहकारी समितियाँ	3,13,89,697.30	
10,62,496.48		स. संस्थागत	11,40,639.58	
43,93,725.00		द. नो फ्रिल खाता	47,45,155.28	
1,93,899.00		ई. इन.ऑपरेटिव जमा	1,85,224.30	
	3.	**चालू खाता**		
2,53,46,501.34		अ. व्यक्तिगत	4,09,06,606.57	
1,73,283.12		ब. सहकारी समितियाँ	1,57,772.72	
54,11,69,996.00	**4.**	**पुनर्निवेश योजना**	52,94,98,438.00	
68,42,020.00	**5.**	**आवर्ती जमा योजना**	53,86,680.00	
1,15,07,830.00	**6.**	**दैनिक जमा योजना**	1,27,68,810.00	
54,95,052.00	**7.**	**समृद्ध सुकन्या जमा योजना**	53,48,950.00	
2,23,507.41	**8.**	**संड्री जमा खाता**	2,80,457.41	

31.03.2022				31.03.2023
परिशिष्ट - तीन	**10. अन्य देनदारियाँ**			**(राशि रूपये में)**
4,38,77,557.52				**4,87,49,843.87**
1,09,500.00	1.	अंकेक्षण शुल्क	1,22,650.00	
3,45,769.00	2.	सहकारी संघ चन्दा देय	3,53,988.00	
7,82,641.00	3.	बोनस/एक्सग्रेशिया देय	9,56,298.00	
3,85,85,245.92	4.	पेमेन्ट आर्डर	4,31,46,899.23	
2,77,690.00	5.	भुगतान योग्य बिल	1,72,508.00	
11,96,336.00	6.	लाभांश देय	10,98,016.00	
73854.50	7.	विविध लेनदार	73,854.50	
15000.00	8.	गार्ड हेतु सुरक्षा निधि	15,000.00	
7,72,832.00	9.	आयकर हेतु प्रावधान	7,58,028.00	
3,48,713.00	10.	वेतन देय हेतु प्रावधान	3,48,713.00	
1200.00	11.	आयकर/टीडीएस देय	1,31,847.00	
15000.00	12.	सिक्युरिटी डिपाजिट (दै.ज.यो.)	15,000.00	
11,01,197.00	13.	आस्थगित कर देयताऐं	11,45,039.00	
39,975.00	14.	अंश आवंटन खाता	41,075.00	
-	15.	आईजीएसटी देय	1,037.48	
56,302.05	16.	एसजीएसटी देय	1,32,945.33	
56,302.05	17.	सीजीएसटी देय	1,32,945.33	
-	18.	पे आर्डर कंट्रोल खाता	4,000.00	
1,00,000.00	19.	एटीएम ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज बेक हेतु प्रावधान	1,00,000.00	
परिशिष्ट - चार	**6. ऋण एवं अग्रिम**			**(राशि रूपये में)**
59,58,18,967.59				**64,71,74,046.43**
	1.	अल्पावधि ऋण		
1,21,48,650.80		अ. अल्पावधि ऋण	3,50,95,448.80	
5,45,11,662.60		ब. नकद साख	2,86,91,919.87	
13,58,37,760.58		स. अधिविकर्ष	17,47,75,321.07	
	2.	मध्यम/दीर्घ अवधि ऋण		
8,43,64,738.23		अ. उपभोक्ता वस्तुऐं, व्यक्तिगत ऋण,	7,78,44,792.31	
		वाहन एवं व्यवसाय इत्यादि हेतु	33,07,66,564.38	
30,89,56,155.38		ब. मकान निर्माण, आदि हेतु	-	

31.03.2022				31.03.2023
परिशिष्ट - पांच		**14. अन्य लेनदारियाँ**		**(राशि रूपये में)**
43,01,725.14				**35,29,106.03**
3100.00	1.	भवन सिक्युरिटी डिपाजिट	3,100.00	
82,479.00	2.	दूरभाष एवं विद्युत सिक्युरिटी डिपा.	82,479.00	
9,31,149.40	3.	सन्ड्री एडवान्स खाता	9,32,910.40	
12,500.00	4.	भेल भवन सिक्युरिटी डिपा.(एम.पी.ई.बी)	12,500.00	
5,65,471.32	5.	स्टेशनरी स्टाक	5,93,845.63	
10,000.00	6.	पानी कनेक्शन हेतु सिक्युरिटी डिपा.	10,000.00	
2,12,341.00	7.	निवेशों पर टीडीएस कटोत्रा	62,227.00	
20,70,525.00	8.	अग्रिम आयकर (गत वर्षों का)	16,67,760.00	
4000.00	9.	भवन सिक्युरिटी डिपाजिट	4,000.00	
4,04,781.42	10.	पूर्वदत्त व्यय	1,54,906.00	
5378.00	11.	चाँदी के सिक्के	5,378.00	
परिशिष्ट - छः		**10. विविध व्यय**		**(राशि रूपये में)**
47,95,588.32				**56,84,116.01**
3,84,088.00	1.	कमीशन (दैनिक जमा योजना)	5,87,534.00	
1,21,826.75	2.	फुटकर खरीद एवं मरम्मत व्यय	84,122.97	
1,25,853.00	3.	सफाई व्यय	1,42,246.00	
2,778.00	4.	समाचार पत्र-पत्रिकाऐं	5,097.00	
1,80,655.06	5.	वार्षिक साधारण बैठक व्यय	2,83,320.38	
86,240.00	6.	प्रोफेशनल सर्विस चार्जेस	76,500.00	
89,964.00	7.	सरकारी प्रति. की प्रीमि. का परि.	75,919.00	
67,053.00	8.	फोटोकापी व्यय	93,632.00	
4,07,958.00	9.	कर्मचारी परिवहन व्यय	4,68,266.24	
38,900.00	10.	संचालक प्रशिक्षण एवं सेमीनार	28,900.00	
9000.00	11.	समाशोधन गृह व्यय	-	
3280.00	12.	कर्मचारी कल्याण व्यय	-	
82,620.00	13.	कर्म.भविष्य निधि प्रशासन व्यय	97,694.00	
37,919.00	14.	कर्मचारी बीमा अंशदान (ईडीएलआई)	38,098.00	
13,98,796.00	15.	ग्रेंच्युटी प्रीमियम	16,99,415.00	
51,140.00	16.	ग्रेच्युटी लाईफकव्हर प्रीमियम	56,626.00	
8,500.00	17.	वेबसाईट डेव्हलपमेंट व्यय	13,500.00	
15,000.00	18.	मोबाईल बैंकिंग सर्विस व्यय	15,000.00	
6852.00	19.	लीव इन्केशमेंट लाईफकव्हर प्रीमियम	2,920.00	
1,95,129.00	20.	लीव इन्केशमेंट एक्चुरीज	-	
6,90,635.00	21.	सिक्युरिटी सर्विस चार्जेस	6,70,637.00	
-	22.	फर्नीचर फिक्सचर के विक्रय पर हानि	1,19,395.28	
6,952.00	23.	स्टाफ टी.ए./डी.ए.	2,253.00	
2,62,155.00	24.	स्टाफ मेडीक्लेम पॉलिसी प्रीमियम	3,34,652.42	
55,316.84	25.	सिबिल (CIBIL) व्यय	70,501.61	
-	26.	शैक्षणिक पुरस्कार वितरण व्यय	1,31,184.00	
42,255.00	27.	नगद हेण्डलिंग व्यय	36,205.30	
3,06,000.00	28.	एटीएम व्यय	1,81,000.00	
14,380.00	29.	नगर निगम लाइसेंस शुल्क	23,004.00	
4000.00	30.	कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	3,540.00	
8448.00	31.	सरसाई शुल्क	10,948.00	
91,894.67	32.	एनपीसीआई एटीएम व्यवहार व्यय	70,179.81	
-	33.	कर्मचारी/भृत्यों की वर्दी	11,600.00	
-	34.	चुनाव व्यय	2,50,225.00	

31.03.2022			31.03.2023
परिशिष्ट - सात	11. अन्य निधियाँ कोष एवं प्रावधान		(राशि रूपये में)
46,80,086.00			20,11,347.00
	अ. निधियाँ एवं कोष		
2,80,831.00	1. स्पेशल रिजर्व	1,75,000.00	
12,00,000.00	2. अशोध्य एवं डूबंत ऋण कोष	-	
	ब. प्रावधान		
79,676.00	1. सहकारी संघ चंदा	87,895.00	
70,382.00	2. आस्थगित कर (Deferred Tax)	43,842.00	
1,00,500.00	3. वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	1,22,650.00	
23,04,000.00	4. आयकर हेतु प्रावधान	12,66,000.00	
94,697.00	5. बोनस देय	15,960.00	
4,50,000.00	6. मानक सम्पत्तियों के लिये आकस्मिक प्रावधान	3,00,000.00	
1,00,000.00	8. एटीएम ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज वेक हेतु प्रावधान	-	

विषय क्रमांक 04:- वर्ष 2022-2023 के शुद्ध लाभ के विभाजन की स्वीकृति प्रदान करना एवं अनुशंसित लाभांश की घोषणा एवं वितरण को स्वीकृति प्रदान करना।

टीपः- वर्ष 2022-2023 के शुद्ध लाभ के विभाजन एवं अनुशंसित लाभांश की जानकारी पृष्ठ क्रमांक-5 पर दी गई है जिसे प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की जाना है।

विषय क्रमांक 05:- वर्ष 2022-2023 के स्वीकृत आय-व्यय बजट से अधिक हुए व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।

टीपः- वर्ष 2022-2023 के स्वीकृत आय-व्यय बजट से अधिक हुए व्यय की मदवार जानकारी निम्नानुसार है, कृपया स्वीकृति प्रदान करें:-

(राशि लाखों में)

क्र.	मद का नाम	स्वीकृत बजट 2022-2023	वास्तविक व्यय राशि 2022-2023	अधिक व्यय हुई राशि	अधिक व्यय का कारण
1.	कर्मचारी वेतन एवं भत्ते	195.00	204.44	9.44	बैंक कर्मचारियों को राज्य शासन के अनुसार स्वीकृत महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के कारण उक्त मद में व्यय अधिक हुआ।
2.	दैनिक जमा योजना कमीशन	5.50	5.88	0.38	बैंक द्वारा दैनिक जमा योजना ऐजेंटस को उनके द्वारा वास्तविक एकत्रित जमा राशि पर कमीशन का भुगतान किया गया है।
3.	ग्रेच्युटी/लीव इनकेशमेंट एक्चुरीज	15.00	17.59	2.59	बैंक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से बैंक कर्मचारियों हेतु ग्रेच्युटी एवं लीव इन्केशमेंट बाबत पॉलिसियां ली गई है एवं उनकी मांग अनुसार कर्मचारियों के वास्तविक वेतन के आधार पर एक्चुरीज का भुगतान किया गया।
	योग	**215.50**	**227.91**	**12.41**	

विषय क्रमांक 6: आगामी वर्ष 2024-2025 के प्रस्तावित आय व्यय बजट को स्वीकृति प्रदान करना।

टीप: वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तावित आय व्यय बजट निम्नानुसार है, जिस पर स्वीकृति प्रदान की जाना है।

"व्यय" (राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	स्वीकृत बजट	प्रस्तावित बजट
		2022-2023	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1.	अमानतों/आहरण पर ब्याज	540.00	458.82	560.00	565.00
2.	कर्मचारी वेतन एवं भत्ते	195.00	204.44	210.00	225.00
3.	कर्मचारी भविष्य निधि अंश, प्रशा.व्यय,बीमा	25.00	24.58	28.00	31.00
4.	कर्मचारी यात्रा भत्ता व्यय एवं स्थानीय परिवहन व्यय	5.00	4.68	5.00	5.00
5.	संचालकों का बैठक शुल्क,प्रवास भत्ता एवं यात्रा भत्ता	5.00	2.92	5.00	5.00
6.	विधिक व्यय	3.00	1.21	3.00	3.00
7.	डाक एवं दूरभाष	3.50	2.52	3.50	3.50
8.	मुद्रण स्टेशनरी	8.00	6.31	8.00	9.00
9.	विज्ञापन व्यय	4.00	0.78	4.00	3.00
10.	भवन किराया	4.00	3.10	4.00	4.50
11.	भवन सम्पत्ति कर	1.75	1.32	2.00	2.00
12.	बिजली व्यय	7.00	6.21	7.00	7.00
13.	बीमा शुल्क	15.00	12.67	15.00	15.00
14.	संचालक प्रशिक्षण, सेमीनार एवं सदस्यता शुल्क ज़	1.00	0.29	1.00	1.00
15.	सम्पत्ति पर ह्रास	13.00	11.21	13.00	13.00
16.	दैनिक जमा योजना कमीशन	5.50	5.88	6.00	8.00
17.	समाशोधन गृह व्यय	0.50	-	0.50	0.50
18.	वार्षिक साधारण सभा व्यय	4.50	2.83	4.50	4.50
19.	अन्य व्यय (सफाई, पानी, फुटकर खरीद, दैनिक व्यय इत्यादि)	11.00	8.32	11.00	12.00
20.	ग्रेच्युटी/ लीव इन्केशमेंट एक्रुरीज	15.00	17.59	16.00	18.00
21.	भवन रख-रखाव	3.50	0.70	2.00	2.00
22.	वृत्ति-कर	0.03	0.03	0.03	0.03
23.	आय कर आदि	35.00	16.83	35.00	30.00
24.	कम्प्यूटर एवं अन्य मशीनरी रख रखाव व्यय	8.00	4.95	8.00	8.00
25.	सिक्युरिटी सर्विस चार्जेस	7.00	6.71	7.50	7.50
26.	सरकारी प्रतिभूतियों की प्रीमियम का परिशोधन	2.50	0.76	2.50	2.50
27.	सामाजिक दायित्व निर्वहन	0.50	-	0.50	0.50
28.	शैक्षणिक पुरस्कार वितरण व्यय	1.75	1.31	1.75	2.00
29.	कर्मचारी मेडीक्लेम पॉलिसी प्रीमियम	5.00	3.35	5.00	5.00
30.	एटीएम व्यय (ATM Expenses)	5.00	2.51	5.00	5.00
31.	चुनाव व्यय	8.50	2.50	-	-
	योग:-	**943.53**	**815.33**	**973.78**	**997.53**
	सकल लाभ	**106.97**	**63.13**	**106.72**	**97.97**
	धारा 43 "ए" अनुसार निधि एवं प्रावधान				
1.	अंकेक्षण/संगामी लेखा परीक्षण शुल्क	5.00	4.11	5.00	6.00
2.	सहकारी संघ चंदा	1.00	0.88	1.00	1.00
3.	निधियां कोष एवं अन्य प्रावधान	5.50	5.35	3.50	3.50
	आय का व्यय पर आधिक्य (शुद्ध लाभ)	**95.47**	**52.79**	**97.22**	**87.47**
	कुल योग	**1050.50**	**878.46**	**1080.50**	**1095.50**

"आय" (राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	स्वीकृत बजट 2022-2023	वास्तविक आय 2022-2023	स्वीकृत बजट 2023-2024	प्रस्तावित बजट 2024-2025
1.	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	580.00	510.07	600.00	625.00
2.	विनियोजन पर ब्याज	415.00	329.19	425.00	415.00
3.	कमीशन	1.50	0.49	1.50	1.50
4.	लॉकर किराया	11.00	8.50	11.00	11.00
5.	प्रोसेसिंग फीस	11.00	7.95	11.00	11.00
6.	अन्य आय (सेवा शुल्क जैसे : न्यूनतम शेष शुल्क, चेक वापसी/चेक बुक चार्जेस,बीमा एवं ट्रेजरी आय इत्यादि)	32.00	22.26	32.00	32.00
	कुल योग :	**1050.50**	**878.46**	**1080.50**	**1095.50**

विषय क्रमांक 07: वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन करना।

टीप: संचालक मंडल द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष **2024-2025** हेतु निम्नानुसार कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई है, जिसका अनुमोदन किया जाना है । (राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	दिनांक 31 मार्च 2023 पर स्थिति	वर्ष 2023-2024 के लिए निर्धारित लक्ष्य	वर्ष 2024-2025 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य
01.	अंश पूँजी	150.99	175.00	175.00
02.	अमानतें	9935.17	11100.00	11100.00
03.	ऋण तथा अग्रिम	6471.74	6700.00	6900.00

विषय क्रमांक 8 : वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु अधिकारीयों/कर्मचारियों को बोनस / एक्सग्रेशिया की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा / स्वीकृति प्रदान करना ।

टीप: संचालक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष2022-2023 के शुद्ध लाभ में से बैंक कर्मचारियों के लिये बोनस एक्ट 1965 के तहत पात्र कर्मचारियों को 9.50 प्रतिशत की दर से बोनस / एक्सग्रेशिया का भुगतान करने की अनुशंसा की गई है, अत: निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का कष्ट करें, ताकि अनुमोदन उपरांत इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित किया जा सके।

विषय क्रमांक 9:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखा परीक्षा हेतु सनदी लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने बाबत् प्रस्ताव का अनुमोदन करना।

टीप: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (1)(ज) एवं 58(1)(क) के तहत सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण हेतु सर्वसाधारण सभा द्वारा संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्मो की नियुक्ति की जानी है। उक्त तारतम्य में संचालक मंडल की बैठक दिनांक31.08.23 में पारित निर्णयानुसार निम्न तीन सनदी लेखाकार फर्मों के नामों की अनुशंसा प्राथमिकता क्रम में की गयी है एवं फर्मों से सहमति पत्र प्राप्त किए गये है। इन नामों में से प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष2023-24 के लेखा परीक्षा हेतु एक सनदी लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाना प्रस्तावित है:-

01. मेसर्स ए.के.बी. जैन एण्ड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेट पार्टनर श्री राहुल देवानी
02. मेसर्स मल्टी एसोसियेट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, भोपाल, प्रो. श्री रविन्द्र अग्रवाल
03. मेसर्स एम.एन.बी. एण्ड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेट श्री समंक मोहबे

कृपया प्रस्तावानुसार अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

विषय क्रमांक :- "कोविड-19 तनाव के लिये प्रावधान" मद में अंतरित राशि वापस "डुबंत एवं संदिग्ध ऋण कोष" मद में अंतरित करने बाबत् स्वीकृति की पुष्टि सर्वसाधारण सभा से प्राप्त करने बाबत्।

टीप : 31 मार्च 2023 की स्थिति पर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस मद के तहत उधारकर्ताओं को दी गई अधिनस्थगन अवधि/ पूर्व स्वीकृत साख सीमा/अधिविकर्ष सीमा के अतिरिक्त 20 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा प्रदान की गई थी, ऐसे सभी खातों में पूर्ण वसूली हो जाने या जिन खातों में अधिस्थगन अवधि प्रदान की गई थी उनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी संपूर्ण वसूली उपरांत खातें बंद हो गये थे या मानकआस्थि में यथावत वर्गीकृत थे अथवा फिसलकर अवमानक आस्ति में वर्गीकृत किये गये है। जिसके फलस्वरूप कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस मद के तहत किये गये प्रावधान की आवश्यकता समाप्त हो गई थी।

अत: कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस मद में बकाया राशि रूपये 53.00 लाख को जिन मदों से निर्मित किया गया था उसे पुन: वापस किया जाना आवश्यक था। अत: जैसा कि बैंक के प्रशासक महोदय का अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने एवं वित्तीय वर्षांत की स्थिति तक, बैंकमें प्रसाशक महोदय की नियुक्ति न होने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति में नये नियुक्त होने वाले प्रशासक महोदय की स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्याशा में, कोविड-19 रिलेटड स्ट्रेस मद की बकाया राशि 53 लाख में से राशि रूपये 3.00 लाख डूबंत एवं संदिग्ध ऋण कोष में एवं शेष राशि रूपये 50.00 लाख विकास निधि मद में वापिस किये जाने की स्वीकृति, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रशासक महोदय एवं साधारण सभा की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गई थी। जिसका अनुमोदन प्रशासक महोदय की बैठक दिनांक 28.04.2023 में किया गया। बैठक में उक्तानुसार की गई कार्यवाही की पुष्टि की जाना है।

बैंक की सावधि जमा योजना की ब्याज दर (दिनांक 18.04.2023 से प्रभावशील)*

क्र.	अवधि	ब्याज दरें
1.	07 से 14 दिन	**4.00**
2.	15 से 45 दिन	**4.00**
3.	46 से 90 दिन	**4.50**
4.	91 से 179 दिन	**5.00**
5.	180 से 364 दिन	**6.00**
6.	01 वर्ष एवं अधिक परन्तु 02 वर्ष से कम	**7.25**
7.	02 वर्ष एवं अधिक परन्तु 03 वर्ष से कम	**7.25**
8.	03 वर्ष एवं अधिक परन्तु 05 वर्ष से कम	**7.00**
9.	05 वर्ष एवं अधिक	**7.00**
10.	समृद्ध सुकन्या योजना	**6.00**

टीप : वरिष्ठ नागरिकों को 1 वर्ष एवं उससे अधिक अवधि की सावधि जमा राशियों पर 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर से भुगतान किया जावेगा।

*शर्ते लागू

सद्गुरू एकमुश्त समझौता योजना (सीमित अवधि)

भारतीय रिजर्व बैंक तथा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार बैंक के संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 31 मार्च 2020 तक एन.पी.ए. में वर्गीकृत ऋण प्रकरणों में एक मुश्त समझौता योजना के तहत छूट प्रदान कर समझौता द्वारा निपटान करने हेतु योजना का अनुमोदन किया गया है ताकि ऐसे एन.पी.ए. ऋण प्रकरण जिसमें वसूली के सभी प्रयास करने के बाद भी ऋण की वसूली काफी लम्बें अंतराल से नही हो पा रही हैं इन प्रकरणों में समझौता द्वारा निपटान कर बैंक के एन.पी.ए. ऋण प्रकरणों मेंकमी लाई जा सके ।अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा में सम्पर्क करें ।